न्यायालय भूमि सुधार उप समहार्त्ता, बुण्डू (राँची)

आर० एम० वाद संख्या–80/2013–14

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

रामकृष्ण महतो बनाम उपेन्द्रनाथ महतो

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
07.02.18 अभिलेख आज उपस्थापित। 07.02.18	**विक्रेता का नाम एवं पता–** रामकृष्ण महतो, पिता–स्व० नकुल महतो, ग्राम–बलुवाडीह, डाकघर–जाड़ेया, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–खेती। **क्रेता का नाम एवं पता–** उपेन्द्र नाथ महतो, पिता–श्री मिलन महतो, ग्राम–बलुवाडीह, डाकघर–जाड़ेया, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–खेती। **विद्वान अधिवक्ता का नाम–** श्री शिवशंकर महतो।	

विक्रेता द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–24/08/2015 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत क्रेता उपेन्द्र नाथ महतो, पिता–श्री मिलन महतो, ग्राम–बलुवाडीह, डाकघर–जाड़ेया, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–खेती के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री की अनुमति माँगी है।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
बलुवाडीह	सोनाहातु/36	01	206	0.27 ए०

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, सोनाहातु से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम इस्तेहार भी निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सोनाहातु के पत्रांक–60(ii), दिनांक–10/02/2016 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

01. प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत का नाम – वकास्त मालिक नाम लगान पाने वाला जगरनाथ महतो वगैरह।
02. खतियानी रैयत के साथ आवेदक का संबंध–पोता।
03. पंजी–।। के अनुसार रैयत का नाम रोईदास महतो वगैरह तथा रैयत के पास कुल रकवा 14.79 ए० जमीन है।
04. विक्रेता जमाबंदी रैयत का पोता है तथा जमाबंदी कायम होने का आधार–कायमी।
05. सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित भूमि टाँड़–I किस्म का है।

......क्रमशः–पृ०सं०–2

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित

06. प्रस्तावित जमीन के विक्रय में आवेदक का हिस्सेदारी की आपत्ति नहीं है।
07. जमीन का मालगुजारी वर्ष 2014–15 तक वसूली गयी है।
08. प्रस्तावित जमीन के बिक्री वाले क्षेत्र में आवेदक का पूर्ण हिस्सा है तथा प्रस्तावित जमीन के विक्रय के पश्चात पंजी ।। के अनुसार आवेदक के पास 14.52 ए० जमीन शेष रह जाएगा।
09. प्रस्तावित जमीन को विक्रेता चिकित्सा हेतु विक्रय कर रहे हैं।
10. आवेदित भूमि पर आवेदक का दखल–कब्जा है। आवेदित भूमि गैरमजरूआ आम/खास, भूदान, भूहदबंदी, भुईंहरी, कैसरेहिन एवं जंगल झाड़ी से बाहर है। क्रेता तथा विक्रेता दोनों एक ही ग्राम एवं थाना के निवासी हैं। क्रेता विक्रेता दोनों कुरमी जाति के सदस्य हैं।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, सोनाहातु ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b के तहत विक्रेता रामकृष्ण महतो, पिता–स्व० नकुल महतो, ग्राम–बलुवाडीह, डाकघर–जाड़ेया, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–खेती को क्रेता उपेन्द्र नाथ महतो, पिता–श्री मिलन महतो, ग्राम–बलुवाडीह, डाकघर–जाड़ेया, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–खेती के हाथों प्रस्तावित भूमि को विक्रय करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक–24/08/2015 को आम इस्तेहार निर्गत किया गया। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है। विक्रेता का बयान दर्ज किया गया एवं उसे पढ़कर सुनाया गया।

अतः अंचल अधिकारी, सोनाहातु के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि को विक्रेता रामकृष्ण महतो, पिता–स्व० नकुल महतो, ग्राम–बलुवाडीह, डाकघर–जाड़ेया, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–खेती को क्रेता उपेन्द्र नाथ महतो, पिता–श्री मिलन महतो, ग्राम–बलुवाडीह, डाकघर–जाड़ेया, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–खेती के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b के तहत दी जाती है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम पर नहीं करेंगे।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
बलुवाडीह	सोनाहातु/36	01	206	0.27 ए०

लेखापित एवं संशोधित।

Sd/- 07/02/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बुण्डू राँची।

Sd/- 07/02/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बुण्डू राँची।